चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(3). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव एवं पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ श्री एस.आनन्द द्वारा दिनांक 09.06.2026 को थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 229/2017 धारा 147,323,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. भोला उर्फ मुबारक़ पुत्र जद्दन 2. हनीफ पुत्र रज्जाक निवासीगण शिवपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गई अवधि से दंडित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव,पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय एएसजे/एफटीसी चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 09.06.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 56/22 धारा 376,302,201भादवि0 के आरोपी अभियुक्त कमलबिहारी त्रिपाठी उर्फ बब्लू विधायक पुत्र लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी निवासी ग्राम बरहा कोटरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 75000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
संक्षिप्त विवरण-
उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.03.2022 को वादी राजू पुत्र राधेरमण द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गई कि उनकी चचेरी बहिन के साथ अज्ञात व्यक्ति ने दुराचार कर हत्या कर दी है। सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 56/22 धारा 376,302,201 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री आनंद कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना से प्रकाश में आया कि अभियुक्त कमलबिहारी उपरोक्त ने युवती के साथ दुराचार कर उसकी हत्या कर दी है। आरोपी को दिनांक 20.03.2022 को गिरफ्तार कर दिनाँक 08.05.2022 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष एससी/एसटी कोर्ट श्रीमती गीता सिंह द्वारा आज दिनाँक 09.06.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 142/2015 धारा 457 भादवि के आरोपी अभियुक्त बलराम पुत्र चौधरी निवासी भवरी पुरवा मजरा चुरेह

केशरुवा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी व उनकी टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका सुधा सोनी पत्नी संतोष कुमार सोनी जनपद चित्रकूट द्वारा थानाध्यक्ष महिला थाना के समक्ष अपने पति संतोष कुमार सोनी द्वारा शारीरिक,मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए घर से बाहर निकाल देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी एवं उनकी टीम द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें महिला थाने पर बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। परिवारिजन आपसी सुलह होने पर एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष महिला थाना नीलम देवी

3.महिला आरक्षी नीतू नायक

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका कंचन पत्नी लल्लू केवट निवासी खटुहाई मजरा बरुआ जनपद चित्रकूट ने अपने पति लल्लू केवट पुत्र भैयालाल केवट निवासी उपरोक्त के विरूद्ध के विरूद्ध गाली गलौज व मारपीट कर घर से निकाल देने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती अनुपमा तिवारी व महिला मुख्य आरक्षी रजनी सिंह,महिला आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र श्रीमती अनुपमा तिवारी

2.मुख्य महिला आरक्षी रजनी सिंह

3.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(8) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्ग विजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक बाबू द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं

प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनाँक 09.06.2026 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 572/15 धारा 279,338,427 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मुन्नालाल पाल पुत्र रामसुख पाल निवासी ग्राम महेवा थाना कालिंजर जनपद बांदा को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(9). देश की राजधानी दिल्ली में मालवीय नगर के होटल फलोरिश में लगी भयानक आग के दृष्टिगत तथा पुलिस महानिदेशक उ०प्र० अग्निशमन तथा आपात सेवा लखनऊ के आदेश दिनांक-03 जून 2026 के अनुपालन में तथा जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलिकित गर्ग व पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अग्निशमन सुरक्षा, बचाव, जागरूकता के सम्बन्ध में अभियान चलाकर होटलों निरीक्षण किया गया।
श्री पवन कुमार त्यागी प्रभारी अग्निशमन अधिकारी चित्रकूट के द्वारा में आज दिनांकः 09 जून 2026 को जनपद चित्रकूट के विभिन्न होटलो का निरीक्षण किया गया तथा अग्निसुरक्षा उपकरणों का रख-रखाव आग के खतरों को कम करने व किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित पलायन के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया एवं कार्यरत कर्मचारियों को अग्निशमन प्रशिक्षण / मॉकड्रिल का आयोजन कराया गया अग्निसुरक्षा से सम्बन्धित जानकारी दी गई। जिसमें होटल रामघाट इन, रामघाट, गंगाराम होटल रामघाट,गंगेले यात्री विश्राम गृह रामघाट, श्री कृष्णा भवन रामघाट,मां शारदा भवन रामघाट का निरीक्षण किया गया

(10). उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा-2025 (द्वितीय पाली) को पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा जनपद के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का संयुक्त रूप से आकस्मिक निरीक्षण किया गया। प्रशासनिक एवं पुलिस महकमे के इस संयुक्त दल ने जनपद में संचालित कुल छह केंद्रों में से मुख्य रूप से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कर्वी तथा श्री गंगा प्रसाद जनसेवा इंटर कॉलेज, कर्वी का सघन निरीक्षण कर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान दोनों मुख्य केंद्रों पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति मे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कर्वी मे कुल पंजीकृत 240 अभ्यर्थियों में से 190 उपस्थित तथा 50 अनुपस्थित पाए गए।
श्री गंगा प्रसाद जनसेवा इंटर कॉलेज, कर्वी, मे कुल पंजीकृत 480 अभ्यर्थियों में से 360 उपस्थित तथा 120 अनुपस्थित पाए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान ग्रीष्मकाल को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने सभी केंद्रों पर स्वच्छ एवं ढके हुए पेयजल की समुचित व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। संबद्ध सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों को सख्त निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षा की पवित्रता और विश्वसनीयता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। संपूर्ण परीक्षा अवधि में पूर्णतः नकल विहीन वातावरण सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह ने परीक्षा केंद्रों पर तैनात सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और ड्यूटी पर मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों के भीतर किसी भी प्रकार का अनावश्यक प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। सभी सुरक्षाकर्मी अत्यंत सतर्कता और मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन सुनिश्चित करें।

संयुक्त निरीक्षण के दौरान जनपद के सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत चाक-चौबंद पाई गई और परीक्षा पूर्णतः शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं सुचारू ढंग से संचालित होती मिली।

(11). आज दिनांक 09.06.2026 को यूपी पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा-2025 को सकुशल, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराए जाने के दृष्टिगत मंडलायुक्त चित्रकूट धाम मंडल श्री अजीत कुमार तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूटधाम परिक्षेत्र, बांदा श्री राजेश एस0 द्वारा पुलिस कार्यालय चित्रकूट स्थित राघव प्रेक्षागार में स्थापित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी चित्रकूट श्री पुलकित गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा परीक्षा की निगरानी व्यवस्था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, संचार व्यवस्था तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुचारु रूप से सम्पन्न कराए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
अधिकारियों ने परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों/कर्मचारियों को पूरी सतर्कता, निष्पक्षता एवं जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए, जिससे परीक्षा की पवित्रता एवं विश्वसनीयता बनी रहे।